

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प. 8(1) राज/वाद/19

जयपुर दिनांक 27-12-2022

: आदेश :

विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(3)न्याय/2010 दिनांक 31.10.22 द्वारा द बेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट, 2019 की धारा 8 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के अधीन प्रकरणों के विचारण हेतु राजस्थान राज्य के जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय से बाहर स्थापित समस्त अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालयों को उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में अधिकारिता वाला न्यायालय विनिर्दिष्ट किया है।

अतः इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.06.20 एवं 23.09.20 में आंशिक संशोधन करते हुये उक्त विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य के जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय से बाहर स्थापित समस्त अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालयों में राज्य की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को उक्त अधिनियम के अधीन विचाराधीन प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।


राज्यपाल की आज्ञा से,

३०

शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/संयुक्त शासन सचिव, विधि।
8. समस्त जिला कलक्टर/ समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश/ समस्त पुलिस अधीक्षक।
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक।
- ✓ 13. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।


(हिमांकनी गौड़)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण